न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 82/2011 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. इस्लाम खॉ आयु 38 साल पुत्र अल्लादीन जाति गद्दी निवासी गॉव खानुआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
2. समीना आयु 30 साल पत्नी अहमद खॉ पुत्री अल्लादीन निवासी ग्राम खानुआ तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
3. नगीना आयु 45 साल पुत्री अल्लादीन पत्नी सुब्बन खॉ जाति गद्दी निवासी गॉव पो0 पावटा गद्दी तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर।
4. मुवीना आयु 32 साल पुत्री अल्लादीन पत्नी अफतरखॉ जाति गद्दी निवासी गॉव पो0 बजीरपुर तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर राज0

.....अपीलांट।

बनाम

1. दिलदार खॉ पुत्र नहनखॉ उर्फ नहनियॉ जाति गद्दी (मृतक)
   1/1. बशीर खॉ, 1/2. सलीम खॉ, 1/3. रसीद खॉ — पुत्र स्व0 दिलदार खॉ
   1/4. सरूपन, 1/5. अन्चो — पुत्रियान दिलदार खॉ
   जाति गद्दी निवासीयान कस्बा वैर तह0 वैर जिला भरतपुर।
2. चॉद मौहम्मद पुत्र नौबत खॉ
3. सलामुद्दीन पुत्र नौबत खॉ जाति गद्दी निवासी कस्बा वैर

..... असल रेस्पोंडेंट।

4. इब्राहिम, 5. निसार — पुत्रान सुगरू
   नि0 जावरा फाटक वाटर वर्क्स टंकी के पास रतलाम म0प्र0
6. जुम्मी वेवा सुगरू जाति गद्दी।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर दिनांक 28.06.2011 उनवानी दिलदार खॉ बनाम इस्लाम खॉ मु0न0 94/08

उपस्थितिः–

1. श्री तालेराम वकील अपीलांट।
2. श्री लोकेन्द्र नाथ चतुर्वेदी वकील रैस्पोडेण्ट।

निर्णय दिनांक :– 28.02.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, वैर के आदेश दिनांक 28.06.2011 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/वादीगण ने मूल दावा के साथ एक प्रार्थना पत्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/वादीगण, इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 4 रकबा 12 बीघा वाके ग्राम हैदन पट्टी पटवार क्षेत्र वैर जिला भरतपुर के काश्तकार संवत 2008 से मु0 घीसी पत्नि झाहरिया हैं। उक्त विवादित भूमि कस्टोडियन भूमि रही है, जो डी0पी0एक्ट के तहत सनद व पट्टा मु0 घीसी वेवा झाहरिया कौम गद्दी को सनद पट्टा नम्बर 23 दिनांक 04.12.1967 को जारी हुआ एवं उसके आधार पर नामान्तकरण संख्या 109 से मु0 घीसी की खातेदारी दर्ज हुई। मु0 घीसी वेवा झाहरिया के कोई पुत्र सन्तान नहीं थी। केवल मात्र एक पुत्री थी जो शादी बाद अपने पती व बच्चे के साथ ससुराल में रहती है। मु0 घीसी की पुत्री वशीरन के पुत्र व पुत्री अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण हैं। विवादित भूमि की मु0 घीसी ने दिनांक 18.07.1962 को एक वसीयत अपने जेठ के लडका सुगरू बल्द नहन खॉ उर्फ नहनरिया को रजिस्टर करा दी एवं उक्त वसीयत के आधार पर दिनांक 23.05.1974 को नामान्तकरण संख्या 170 से सुगरू के नाम मु0 घीसी के स्थान पर खातेदार सुगरू दर्ज हुआ तभी से रैस्पो0/वादीगण विवादित आराजी पर बतौर खातेदार कब्जा काश्त हैं। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। परन्तु अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण आये दिन विवादित आराजी पर कब्जा व बेदखल करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई स्वीकार कर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को ता फैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, रूपवास खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार मु0 घीसी वेवा झाहरिया थी एवं मुस0 घीसी द्वारा छोडी गई जायदाद की एक मात्र कानूनी वारिस वशीरन है। वशीरन का मुस0 घीसी की मृत्यु के पश्चात् से ही विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही मुस0 घीसी ने उक्त विवादित आराजी बाबत् कोई वसीयत ही की है। मुस0 घीसी की मृत्यु के बाद दिनांक 23.05.1974 को जो नामान्तकरण संख्या 170 सुगरू के नाम खुला था वह नामान्तकरण माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा दिनांक 05.08.2003 को तथा राजस्थान उच्च न्यायालय बैन्च जयपुर द्वारा दिनांक 25.04.2008 को अवैध तथा गैर कानूनी घोषित किया जा चुका है। रैस्पो0 द्वारा विवादित आराजी पर पूर्व में कभी काश्त नहीं की है एवं ना ही वर्तमान में कोई काश्त है। रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आर0बी0जे0 (24) 2017 पेज 162 व 312 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पोडेण्ट ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वशीरन अपनी शादी के बाद से ही अपने पति व बच्चों के साथ अपनी ससुराल में रही है। विवादित आराजी रैस्पो0 को जरिये वसीयत प्राप्त हुई है एवं उक्त वसीयत के रहते अपीलाण्ट का विवादित आराजी में कोई संबंध सरोकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0बी0जे(18) 2011 पेज 387 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। विवादित आराजी में पक्षकारों के अधिकार साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना से ही तय हो सकते हैं। रैस्पो0/वादीगण वसीयत के आधार पर, विवादित आराजी में अपने अधिकार का दावा करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2058–61 के खाता संख्या 96 में विवादित भूमि पर सुगरू बल्द नहनखॉ कौम गद्दी खातेदार काश्तकार अंकित हैं। अतः प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति वादी/रैस्पो0 के पक्ष में होने से इंकार नहीं किया जा सकता। दौरान वाद, विवादित भूमि को सुरक्षित रखना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को ता फैसला वाद कन्फर्म किया गया है। यह पाबंदी दौरान वाद विवादग्रस्त भूमि के सुरक्षित रहने, वादकरण की बहुलता एवं जटिलता को रोकने के लिए उचित ही है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय दिनांक 28.06.2011 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर